न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.) (समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

विविध व्यवहार अपील क.26 / 16 संस्थित दिनांक-26.09.2016

मीराबाई पुत्री हरागोविंद पत्नी अतर सिंह आयु 46 साल जाति जाटव धंधा खेती निवासी ग्राम हरनाम का पुरा तहसील गोहद हाल निवासी सालिग का पुरा परगना व जिला भिण्ड म०प्र०

.....अपीलार्थी / वादी

विरुद्ध

- 1. श्रीमती मंगलोबाई विधवा पत्नी हरगोविंद आयु 86 वर्ष निवासी ग्राम हरनाम का पुरा मौजा चम्हेडी परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र0.....मृत-नाम डिलीट
- Elitary Parents 1 2. हाकिम पुत्र हरगोविंद आयु 51 साल निवासी ग्राम हरनाम का पुरा मौजा चम्हेडी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
 - 3. प्रभू पुत्र हरगोविन्द आयु 51 वर्ष निवासी ग्राम हरनाम का पूरा मौजा चम्हेडी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
 - 4. राजु आयु 29 वर्ष
 - 5. सूरतराम आयु २७ वर्ष
 - 6. तहसीलदार आयु 25 वर्ष
 - 7. श्रीमती मीराबाई विधवा पत्नी भोलाराम जाटव आयु 51 वर्ष निवासीगण ग्राम हरनाम का पूरा मौजा चम्हेडी तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र0
 - 8. संजू आयु 29 वर्ष
 - 9. बलवीर आयु 26 वर्ष पुत्रगण प्रकाश
 - 10. श्रीमती गुड्डी बाई पत्नी प्रकाश आयु 46 वर्ष जाति जाटव धंधा खेती समस्त निवासी ग्राम चम्हेडी तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

.....पृत्यर्थी / वादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री जी.एस. गुर्जर अधिवक्ता। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 का नाम डिलीट। प्रत्यर्थी क्रमांक 02 द्वारा श्री पी.एन. भटेले अधिवक्ता। प्रत्यर्थी क्रमांक ०३ लगायत १० अनुपस्थित, पूर्व से एकपक्षीय।

(आदेश) (आज दिनांक 27.09.2017 को पारित)

1. यह विविध सिविल अपील आदेश 43 नियम 01 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय प्रथम व्यवाहर न्यायाधीश वर्ग दो, गोहद, जिला

भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 60ए / 2016 उनवान मीराबाई विरूद्ध श्रीमती मंगलोबाई एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.08. 16 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02 के द्वारा अपीलार्थी / वादी का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा—151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त करते हुए वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है।

- विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / वादी मीराबाई के 2. यह अभिवचन रहे है कि भूमि सर्वे क्रमांक 393 रवका 0.47 हेक्टे0, 405 रकवा 0.45 हेक्टे0, 406 रकवा 0.25 हेक्टे, 407 रकवा 0.64 हेक्टे0, 449 रकवा ०.७८ हेक्टे०, ४५३ रकवा १.०५ हेक्टे०, ४५६ रकवा ०.६८ हेक्टे०, ४६४ रकवा 0.28 हेक्टे0, 496 रकवा 1.39 हेक्टे0, 503 रकवा 1.02 हेक्टे0, 516 रकवा 0.13 हेक्टे0, 530 रकवा 0.79 हेक्टे0, 540 रकवा 0.52 हेक्टे0, 541 रकवा ०.५८ हेक्टे०, ५५२ रकवा ०.२१ हेक्टे०, ५६४ रकवा ०.३० हेक्टे०, ५७२ रकवा 0.71 हेक्टे0, 598 रकवा 1.17 हेक्टे0, 601 रकवा 0.18 हेक्टे0, 614 रकवा 1.03 हेक्टे0, 1223 रकवा 0.95 हेक्टे0, 459 / 1462 रकवा 0.41 हेक्टे0 स्थित बांके मौजा चम्हेड़ी पटवारी हल्का नंबर 53 परगना गोहद जिला भिण्ड संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी की सम्पत्ति है, जिसमें वादिया का जन्म से सहदायिकी हक है। उक्त भूमि के उसके पिता हरगोविंद स्वामी व आधिपत्यधारी रहे हैं। उक्त भूमि प्रकरण में विवादित है जिसे आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादी के यह भी अभिवचन रहे हैं कि हरगोविंद को विवादित भूमि अंतरित करने का अधिकार नहीं था। उनकी मृत्यु दिनांक 05.07.15 को हो चुकी है। उक्त सम्पत्ति के वादी और प्रतिवादी उत्तराधिकारी है जिसमें वादी का 1/6 भाग होकर अपने हिस्से पर काबिज होकर खेती कर रही है। भोलाराम और प्रकाश की मृत्यु हरगोविंद से पूर्व हो चुकी है। प्रतिवादी क्रमांक 02 हाकिम ने वादी को धौंस दी है कि हरागोविंद की भूमि उन्होंने अपने नाम करा ली है और वादी का कोई हिस्सा नहीं है तब खसरे की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम अंकित हो गया है अर्थात अवैध रूप से बंटवारा दिखाते हुए नामांतरण करा लिया है।
- 3. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / वादी मीराबाई के यह भी अभिवचन रहे है कि वादी और उसके पति अंतर सिंह ने नामांतरण

हेतु ग्राम पंचायत चम्हेडी से पंचनामा बनाया और मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने का आवेदन दिनांक 28.07.15 को लिखवाया तब हाकिम सिंह और उसके पुत्रों ने पंचनामा छीनकर फाड दिया, जिसकी शिकायत वादी ने पुलिस में की। प्रतिवादी क्रमांक 03 का हिस्सा भी प्रतिवादी हाकिम ने अपने साथ अंकित करा लिया है। उक्त आधारों पर विवादित भूमि में वादी को 1/6 हिस्से की स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किए जाने, तहसीलादार का बटवारा आदेश दिनांक 07.07.03 प्राभावहीन घोषित किए जाने तथा विवादित भूमि में वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न किए जाने संबंधी स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की प्रार्थना की गई। वादी की ओर से आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 जाठदीठ का प्रस्तुत करते हुए, वादी के कब्जे में हस्तक्षेप न किए जाने संबंधी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

- प्रस्तुत करते हुए यह अभिवचन किये है कि हरगोविंद अपने जीवनकाल में ही विवादित भूमि का बटवारा कर चुके थे जिसकी जानकारी वादिया को यथासमय थी। हरागोविंद का कियाकर्म प्रतिवादीगण द्वारा ही किया गया है। बटवारे के आधार पर खसरा खतौनी में प्रतिवादीगण के नाम का नामांतरण स्वीकार किया गया है। जिसकी जानकारी वादी को प्रारंभ से ही है। वादी पूर्व में ही अपने भाग का पैसा प्राप्त कर चुकी है। वादी का विवादित भूमि में कोई संबंध नहीं है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादीगण कमांक 01 लगायत 10 की ओर से वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा—151 जा०दी० का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
- 5. प्रतिवादी क्रमांक 11 म0प्र0 शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है उसके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है। उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
- 6. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया गया कि धारा—178—क म0प्र0भू०रा०सं० के अधीन भूस्वामी हरगोविंद की जीवनकाल में ही विभाजन किया गया है, विवादित भूमि हरागोविंद को पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई इस संबंध में कोई दस्तावेज वादी ने प्रस्तुत नहीं किए

है। आदेश दिनांक 07.07.03 को वादी ने सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हो इस संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। प्रथम दृष्टि में उक्त बटवारे की उपधारणा करते हुए बटवारे में पक्षकारों को प्राप्त भूमि पर कब्जे के अनुसार वादिया को कब्जे से बाहर करने के तथ्य का उल्लेख किया है बाद में सहस्वामी की उपधारणा करते हुए वादी का प्रथम दृष्टिया मामला मान्य नहीं किया है। वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु होना मान्य नहीं करते हुए वादी का आवेदन निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी / वादी की ओर से यह विविध सिविल अपील की गई है।

- 7. अपीलार्थी / वादी की ओर से अपनी अपील एवं तर्क में प्रमुख आधार यह लिए गए हैं कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा—12 में वादी को विवादित भूमि की सहस्वामी तो माना है परंतु यह लिखा है कि सहस्वामी के विरुद्ध आधिपत्य संरक्षण हेतु निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, यह निष्कर्ष गलत निकाला है। वास्तविकता यह है कि एक सह भूमिस्वामी को खेती करने से नहीं रोका जा सकता है और यदि कोई रोकता है तो उसके विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, जो जारी न कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजू पुत्र भोलाराम, श्रीमती मीराबाई पत्नी भोलाराम, संजू एवं बलवीर पुत्रगण प्रकाश तथा श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी प्रकाश के द्वारा राजीनामा पेश किया है। जिसमें वादी के स्वत्वों को स्वीकार किया है। उक्त आवेदनपत्र को विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा साक्ष्य एवं सिद्धांतों के गलत निष्कर्ष निकाल कर वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र को निरस्त कर वैधानिक त्रुटि कारित की है।
- 8. यह भी आधार लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.16 विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त आधारों पर यह अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.16 अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एवं धारा—151 जा०दी० को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी/वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की प्रार्थना की गई है। जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कमांक 02 की ओर

से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया है कि वादी का कब्जा विवादित भूमि पर नहीं है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

9. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने से इस विविध सिविल अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:—

क्या विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मूल व्यवहार वाद कमांक 60ए / 16 में पारित आदेश दिनांक 26.08.16 स्थिर रखे जाने योग्य है अथवा उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 10. सर्वप्रथम अपीलार्थी / वादी के इस आधार पर विचार किया गया कि कुछ प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसमें वादिया के 1/6 हिस्से के स्वत्व को माना है। परंतु उक्त राजीनामे का इस अंतरिम स्तर पर निराकरण नहीं किया जा सकता। अपितु उसका निराकरण निर्णय के साथ ही किया जाएगा।
- 11. विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य आदेश के पैरा–10 में यह मान्य किया है कि बटवारा होकर बटवारे अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार के प्रथक—प्रथक कब्जे की उपधारणा की जाएगी, ऐसी स्थिति में यदि सहस्वामी को आधिपत्य विहीन कर दिया है तब उसका सहस्वामी के साथ अधिपत्य होने की उपधारणा नहीं की जा सकेगी। वहीं इसी निष्कर्ष के विपरीत पैरा–11 एवं पैरा–12 में निष्कर्ष देते हुए वादी के सहस्वामी होने की उपधारणा की है। इस प्रकार विचारण / अधीनस्थ न्यायालय ने दो विपरीत निष्कर्ष दे दिए है। इस दृष्टि से विचारण / अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निष्कर्ष विधिक रूप से उचित नहीं है।
- 12. इस मामले में वादी के द्वारा विवादित भूमि को पैतृक होना तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति होना बताया है परंतु राजस्व

के जो अभिलेख खसरा खतौनी आदि प्रस्तुत किए है, उसमें हरगोविंद का नाम दर्ज है, उससे पूर्व के किसी पूर्वज का नाम दर्ज नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टि में ही उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति होना प्रकट नहीं होती है। नायब तहसीलदार के बटवारा आदेश दिनांक 07.07.03 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि हरगोविंद ने विवादित भूमि को अपने पुत्रगण और मृत पुत्र के पुत्रगण के मध्य विभाजित कर दिया है। उक्त आदेश उचित है अथवा त्रुटिपूर्ण है यह गुणदोष का प्रश्न है। परंतु प्रथम दृष्टि में उक्त भूमि हरगोविंद की होकर उसे अपनी भूमि को अंतरित करने या बटवारे में अपने पुत्रगण को वितरित करने का अधिकार होना प्रकट होता है।

- 13. इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक 01 मंगलोबाई हरगोविंद की विधवा थीं, जिसकी मृत्यु हो गई है। वादी मीराबाई हरगोविंद की पुत्री है। प्रतिवादी हािकम, प्रभू, मृत भोलाराम, मृत प्रकाश हरागोविंद के पुत्रगण हैं। भोलाराम के पुत्र राजू, सूरतराम एवं तहसीलदार हैं। मीराबाई भोलाराम की पत्नी है। संजू एवं बलवीर प्रकाश के पुत्रगण है तथा श्रीमती गुड्डी प्रकाश की पत्नी है। उक्त बटवारे के अनुसार विवादित भूमि हरगोविंद, हािकमसिंह, प्रभूदयाल पुत्रगण हरगोविंद, भोलाराम पुत्र हरगोविंद एवं बलवीर सिंह, संजू अवयस्क पुत्रगण रामप्रकाश सरपरस्त बाबा हरगोविंद में वितरित की गई है। चूंिक उक्त विवादित भूमि प्रथम दृष्टि में संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति अथवा सहदायिकी की सम्पत्ति होना प्रकट नहीं होती है और बटवारा स्वयं हरगोविंद ने करया है तब ऐसी स्थिति में वादिया को विवादित भूमि में कोई अधिकार होना प्रकट नहीं होता है।
- 14. वादिया की ओर से वाद संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी की सम्पित्त होने और उसमें वादिया का 1/6 हिस्सा होने के आधार पर लाया गया है। यदि यह मान भी लिया जाए तब भी विधि का सुस्थिपत सिद्धांत है कि एक सहस्वामी के पक्ष में दूसरे सहस्वामियों के विरुद्ध बिना बटवारा कराए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः ऐसी स्थिति में वादिया का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रकट नहीं होता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति के बिन्दु भी वादिया के पक्ष में होना प्रकट नहीं होते है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के अपीलार्थी/वादिया का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित न होना मान्य किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि

कारित नहीं की है। परंतु जिन आधारों पर उक्त निष्कर्ष दिया है, वह त्रुटिपूर्ण है।

- 15. इस प्रकार से प्रथम दृष्टि में स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर बटवारे के आधार पर दिनांक 07.07.2003 के पश्चात से कब्जा है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का प्रथम दृष्ट्या मामला मान्य न करते हुए तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षिति का बिन्दु भी वादी के पक्ष में मान्य न करते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। इस कारण से वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 सहपठित धारा—151 जा0दी0 को निरस्त किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है।
- 16. अतः ऐसी स्थिति में विचारण / अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 26.08.16 किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। इस कारण उक्त आदेश हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है। यह विविध सिविल अपील निरस्त की जाती है।
- 17. इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।
- 18. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड